



स्पीड पोस्ट

भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. SP/7/2018/STGCG/DEOTH/RU-III

दिनांक: 04-09-2018

सिटिंग नोटिस

विषय: इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्रों हेतु विज्ञापित पदों में राज्य की अनुसूचित जनजातियों के हित के लिए कृषि प्रसार विषय के पद जोड़ने एवं अधिकारियों/कर्मचारियों से संबंधित जानकारी देने के संबंध में- श्री सुबोध प्रधान, कृषि विस्तार, इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर (छत्तीसगढ़) का अभ्यावदन।

संदर्भ: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 31/01/2018, स्मरण पत्र दिनांक 06/06/2018 पूरक जानकारी हेतु पत्र दिनांक 30/07/2018, स्मरण पत्र दिनांक 30/07/2017 एवं 21/08/2018

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संवैधानिक अधिदेश और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरणों में अन्वेषण करने का निर्णय लिया है।

2. श्री नंद कुमार साय, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग में दिनांक 11-09-2018 को 12.00 बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

सेवा में,

1. महानिदेशक,
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
कृषि भवन, डॉ राजेंद्र प्रसाद रोड,
नई दिल्ली-110001

7556-58
6/9/18
जाति विभाग
ISSUED


(आर. क. दुबे)
सहायक निदेशक
दूरभाष-24615012

प्रतिलिपि:

श्री सुबोध प्रधान,

कृषि विस्तार,

इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर, (छत्तीसगढ़)